वायुयान संचालित करने वाले उद्यमों की आय के दोहरे कराधान से बचने के लिए ईरान के साथ समझौता

अधिसूचना: सं. जीएसआर 284 (ड़), दिनांक 28-5-1973

जबकि भारत सरकार और ईरान की शाही सरकार ने वायुयान संचालित करने वाले उद्यमों की आय के दोहरे कराधान से बचने के लिए, अनुलग्नक में दिए गए अनुसार नोट्स के आदान-प्रदान के माध्यम से एक समझौता किया है।

अब, इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त समझौते के सभी प्रावधानों को भारत संघ में प्रभावी किया जाए।

अधिसूचनाः *सं. जीएसआर 284 (ड़), दिनांक 28-5-1973*

अनुबंध - नोट्स का पाठ, दिनांक 29-3-1973

ईरान की शाही सरकार द्वारा भारत सरकार को प्राप्त नोट संख्या 127/18, दिनांक 29 मार्च, 1973 का सहमत अनुवाद

"शाही विदेश मंत्रालय भारतीय दूतावास को शुभकामनाएं देता है और आयकर के भुगतान से भारतीय और ईरानी एयरलाइनों की पारस्परिक छूट के संबंध में हुई चर्चाओं और आदान-प्रदान किए गए संबंधित नोट्स के संदर्भ में यह कहने का सम्मान करता है:

19 मार्च, 1967 के प्रत्यक्ष कर कानून के अनुसार, विदेशी वायु कंपनियों को पारस्परिक आधार पर आयकर के भुगतान से छूट दी जा सकती है; और वास्तव में इस बात को देखते हुए कि भारत में ईरानी वायु कंपनियों से कोई आयकर नहीं लगाया गया है, इसलिए ईरानी सरकार ने अब तक भारतीय एयरलाइनों पर कोई आयकर नहीं लगाया है।

इस प्रकार, जैसा कि प्रत्यक्ष कर कानून में निर्धारित पारस्परिकता का प्रावधान वस्तुतः स्थापित हो चुका है, जब तक उक्त प्रावधान का भारत सरकार द्वारा पालन किया जाता है, भारतीय वायु कंपनियों को पहले की तरह माल और यात्रियों के परिवहन से प्राप्त कर के भुगतान से छूट मिलती रहेगी।

इसलिए, यह प्रस्तावित है कि यदि उपरोक्त पर सहमति हो जाए, तो इस नोट और भारत सरकार द्वारा पारस्परिकता के प्रयोग और पालन के संबंध में दूतावास के उत्तर को दोनों पक्षों की वायु कंपनियों द्वारा आयकर के भुगतान से छूट के संबंध में दोनों पक्षों के बीच एक अस्थायी समझौता माना जा सकता है।"

भारत सरकार द्वारा ईरान की शाही सरकार को उत्तर में जारी नोट संख्या टीईएच/कॉम/203/6/70, दिनांक 1-4-1973:

"भारतीय दूतावास, शाही विदेश मंत्रालय को शुभकामनाएं देता है और आयकर के भुगतान से भारतीय और ईरानी एयरलाइनों की पारस्परिक छूट के प्रश्न के संबंध में उनके नोट संख्या 127/18, दिनांक 29-3-1973 का संदर्भ देने के लिए सम्मान करता है, जो निम्नलिखित है:

"शाही विदेश मंत्रालय भारतीय दूतावास को शुभकामनाएं देता है और आयकर के भुगतान से भारतीय और ईरानी एयरलाइनों की पारस्परिक छूट के संबंध में हुई चर्चाओं और आदान-प्रदान किए गए संबंधित नोट्स के संदर्भ में यह कहने का सम्मान करता है:

19 मार्च, 1967 के प्रत्यक्ष कर कानून के अनुसार, विदेशी वायु कंपनियों को पारस्परिक आधार पर आयकर के भुगतान से छूट दी जा सकती है; और वास्तव में इस बात को देखते हुए कि भारत में ईरानी वायु कंपनियों से कोई आयकर नहीं लगाया गया है, इसलिए ईरानी सरकार ने अब तक भारतीय एयरलाइनों पर कोई आयकर नहीं लगाया है।

इस प्रकार, जैसा कि प्रत्यक्ष कर कानून में निर्धारित पारस्परिकता का प्रावधान वस्तुतः स्थापित हो चुका है, जब तक उक्त प्रावधान का भारत सरकार द्वारा पालन किया जाता है, भारतीय वायु कंपनियों को पहले की तरह माल और यात्रियों के परिवहन से प्राप्त कर के भुगतान से छूट मिलती रहेगी।

इसलिए, यह प्रस्तावित है कि यदि उपरोक्त पर सहमति हो जाए, तो इस नोट और भारत सरकार द्वारा पारस्परिकता के प्रयोग और पालन के संबंध में दूतावास के उत्तर को दोनों पक्षों की वायु कंपनियों द्वारा आयकर के भुगतान से छूट के संबंध में दोनों पक्षों के बीच एक अस्थायी समझौता माना जा सकता है।

इस प्रस्ताव के संदर्भ में, भारतीय दूतावास का शाही विदेश मंत्रालय को यह सूचित करने का सम्मान है कि भारत सरकार उपरोक्त पाठ की शर्तों को स्वीकार करती है और मानती है कि वह नोट और यह नोट वायुयान संचालित करने वाले उद्यमों की आय के दोहरे कराधान से बचने के लिए दोनों सरकारों के बीच एक समझौता होगा, जो विभिन्न स्रोतों जिसमें नागरिक उड्डयन भी शामिल है, से आय के दोहरे कराधान से बचने के लिए एक सामान्य समझौते के समापन तक इस तिथि से प्रभावी होगा।

अब आदान-प्रदान किए गए नोट्स के उद्देश्य के अनुसार, भारतीय दूतावास इस तथ्य पर जोर देने का सम्मान रखता है कि भारत सरकार की स्वीकृति इस समझ पर आधारित है कि भारतीय एयरलाइन कंपनियों और ईरानी एयरलाइन कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान के संचालन से प्राप्त आय के संबंध में छूट पारस्परिकता के आधार पर होगी और क्रमशः ईरान और भारत में इन एयरलाइनों के संचालन की शुरुआत से लागू होगी और किसी भी स्थिति में यदि इस समझौते की तिथि तक किसी भी सरकार द्वारा उपरोक्त आय पर कोई कर वसूल किया गया है, तो उसे सरकार द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

भारतीय दूतावास इस अवसर का उपयोग करते हुए शाही विदेश मंत्रालय को अपने सर्वोच्च विचार का आश्वासन देता है।"